

# JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1967PLC004704

Reg. Off.: B-1, 34/1, Vikas House, Vikas Path Marg, East Punjabi Bagh, Delhi 110026;

Email ID: [justridelimited@gmail.com](mailto:justridelimited@gmail.com) ;

Website: [www.justrideenterprises.com](http://www.justrideenterprises.com)

---

January 14, 2024

Listing Compliance Department

**BSE Limited**

Phirozee Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

**Ref Scrip Code: 531035\_JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED (ISIN: INE432F01024)**

**SUB: INTIMATION UNDER REGULATION 47 OF SEBI (LODR), 2015 FOR NEWSPAPER ADVERTISEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDING ON 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2023.**

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of Standalone Unaudited Financial Results of the company for the Quarter and Nine Months ending on 31<sup>st</sup> December, 2023 published in the newspapers viz. Financial Express (English Newspaper) & Jansatta (Hindi Newspaper) on Monday January 14, 2024.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You,

For **JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED**

**Vasudha Aggarwal**

Company Secretary and Compliance Officer

**Encl:** As below







# भारत ने अमेरिका से वीजा में देरी का मुद्दा उठाया

जन्सत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 जनवरी।

भारत ने व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की बैठक में घरेलू कारोबारों को समय पर वीजा मिलने में आ रही दिक्कतों के बारे में अमेरिका से अपनी चिंताएं साझा करते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। शनिवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

भारतीय कारोबारों को वीजा का मुद्दा शुक्रवार को आयोजित 14वीं टीपीएफ बैठक के दौरान प्रमुखता से उठाया गया। इसकी सह-अध्यक्षता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन तेई और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। वाणिज्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि दोनों

*भारत* ने व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की बैठक में घरेलू कारोबारों को समय पर वीजा मिलने में आ रही दिक्कतों के बारे में अमेरिका से अपनी चिंताएं साझा की।

मंत्रियों ने स्वीकार किया कि देशा के बीच पेशेवर और कुशल श्रमिकों, विद्यार्थियों, निवेशकों और व्यापारिक आगंतुकों की आवाजाही द्विपक्षीय आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाने में काफी योगदान देती है।

संयुक्त बयान के अनुसार कि गोयल ने वीजा प्रसंस्करण में लगने वाले समय की वजह से भारत से व्यापार आगंतुकों को पेश आ रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला और अमेरिका से इस

प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत ने अमेरिका से भारतीय एच।बी वीजाधारकों के लिए वीजा का नवीनीकरण अमेरिका में ही किए जाने को एक स्थायी प्रक्रिया बनाए जाने की मांग की है ताकि पेशेवरों को इसके लिए भारत न आना पड़े। फिलहाल अमेरिका में इसके लिए हारस्टेट साइडह्क सुविधा एक प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत चल रही है। हारस्टेट-साइडह्क सुविधा का मतलब है कि एच।बी वीजा वाला व्यक्ति इसे अमेरिका में ही नवीनीकृत करा सकता है। अधिकारी ने कहा कि अब, हम इसे स्थायी बनाने के लिए कह रहे हैं, और हम इस सुविधा को न केवल मूल वीजाधारक बल्कि उसके परिवार के लिए भी विस्तारित करने के लिए कह रहे हैं।

## उत्तराखंड सरकार

## ने कर्मचारियों का

## महंगाई भत्ता बढ़ाया

देहरादून, 13 जनवरी (भाषा)।

उत्तराखंड सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 42 फीसद प्रतिमाह से बढ़ाकर 46 फीसद कर दिया है। यहां जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। संशोधित महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगा, और लाभार्थियों

को बकायें का भुगतान नकदी में किया जाएगा। आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2024 से संशोधित महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनके प्रति माह के वेतन के साथ अदा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा।

## वर्ष 2023 आधिकारिक तौर पर

## सबसे गर्म साल रहा : डब्ल्यूएमओ

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वैश्विक तापमान रिकार्ड को ध्वस्त करते हुए 2023 बड़े अंतर से अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। वार्षिक औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से बढ़ते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस की ओर जा रहा है, जोकि महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का लक्ष्य दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को इसी आंकड़े तक सीमित करना है।

समझौते के अनुसार, दीर्घकालिक वृद्धि की गणना 2023 जैसे किसी विशिष्ट वर्ष के बजाय दशकों के औसत के रूप में की जाती है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जून और दिसंबर के बीच हर महीने में वैश्विक तापमान का नया रिकार्ड बना तथा जुलाई और अगस्त को सबसे गर्म महीनों के रूप में दर्ज किया गया। डब्ल्यूएमओ ने गया कि वार्षिक औसत वैश्विक तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस था, जोकि पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक है। इसने वैश्विक तापमान की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले छह प्रमुख डेटासेट को समेकित किया, जिनमें से सभी ने 2023 को रिकार्ड में सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्थान दिया। डब्ल्यूएमओ की महासचिव सेलेस्टे सीलो ने कहा, जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।

## सेठ के पति ने कहा, बेटे से पिछले पांच रविवार नहीं मिलने दिया

एणजी, 13 जनवरी (भाषा)।

चार साल के बेटे की हत्या की आरोपी व एआई-आधारित एक स्टार्टअप कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुचना सेठ के पति ने शनिवार को गोवा पुलिस को बताया कि सेठ ने उन्हें पिछले पांच रविवार से बेटे से नहीं मिलने दिया।

वेकटरमन जांच के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए दोपहर के समय बंगलुरु से कलंगुट थाने पहुंचे। पुलिस के अनुसार, सेठ ने उत्तरी गोवा के कैंडोमिल में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की कथित तौर पर घात घोटकर हत्या करने के बाद उसका शव एक बैग में रखा और बंगलुरु वापस जाने के लिए टैक्सी ली, लेकिन उसे आठ जनवरी को कर्नाटक के चिचुदुर्ग में बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया। रमन ने जांच अधिकारी (आईओ) से मिलने जाने से पहले मोडिया से बात नहीं की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वह (रमन) विस्तृत बयान दर्ज करा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि दोपहर तक उनके बयान का काफी हिस्सा दर्ज किया जा चुका था और दोपहर के भोजन के बाद रमन आईओ के साथ फिर से बैठे। उन्होंने कहा कि रमन ने पुलिस को बताया कि उनके और सेठ के बीच बंगलुरु की एक परिवारिक अदालत में तलाक का मुकदमा चल रहा है। अधिकारी के अनुसार, रमन ने दावा किया कि अदालत ने उन्हें मुलाकात का अधिकार दिया था लेकिन सेठ ने उन्हें पिछले पांच रविवार से उनके बेटे से नहीं मिलने दिया।

### कैश वैन चोरी करने के

प्रयास में 6 गिरफ्तार

गांधीधाम, 13 जनवरी (भाषा)।

गुजरात के कच्छ जिले में एक एटीएम कैश वैन को चुराने का प्रयास करने वाले छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वैन में 2.13 करोड़ रुपए मौजूद थे। आरोपियों में से दो व्यक्ति एक नकदी प्रबंधन कंपनी के कर्मचारी हैं। कच्छ-पूर्व के पुलिस अधीक्षक सागर बरमार ने बताया कि यह घटना गत शुक्रवार की सुबह गांधीधाम शहर में हुई। एक नकदी प्रबंधन कंपनी के पर कर्मचारी वैन में 2.13 करोड़ रुपए रखने के बाद कुछ खाने-पीने के लिए पास की एक दुकान पर चले गए।

# देश

### COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Rajoli Kaur JMJC , Bathinda M/s Om Sons Marketing Pvt. Ltd, Through Its CAO balwant Singh

Vs. Arun Kumar Gupta CNR NO: PBBT03-008411-2019 Next Date: 15-02-2024 Publication Issued To: Arun Kumar Gupta R/o Railway Road Gurusahayaganj, Distt- Kannauj (UP) Contact No 9856974784

In above titled case, the accused could not be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 Cr. P.C. through publication is hereby issued against accused. It is ordered that accused is directed to appear or through counsel on 15-02-2024 at 10:00 a.m. if accused failed to appear before this court despite his proclamation through publication, then accused may be declared as proclaimed offender for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district\_notice&district=Bathinda JMJC Bathinda

### COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Shrimpa Rani Judicial Magistrate Ist Class Ludhiana Willowood Crop Sciences Private Limited

Vs. M/s Prabhat Krishi Vikash Kendra CNR NO: PBBT03-003505-2020 Next Date: 15-02-2024 Publication Issued To: Rakesh Kumar: H. No 26, Village Jalaipur, Post Trivediganj Dist Barabanki, Uttar Pradesh

In above titled case, the accused could not be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 Cr. P.C. through publication is hereby issued against accused. It is ordered that accused is directed to appear or through counsel on 15-02-2024 at 10:00 a.m. if accused failed to appear before this court despite his proclamation through publication, then accused may be declared as proclaimed offender for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?mod=district\_notice&district=Bathinda JMJC Bathinda

### Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma Judicial Magistrate- Ist Class, Ludhiana next date: purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank

Vs. Rajesh Kumar CNR NO: PBLD03-056498-2020 Date: 19-02-2024 Publication Issued To: Rajesh Kumar Address- 352, Ladpur 86, Jhajjar 124105 Haryana Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-02-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_notice&district=ludhiana JMJC Ludhiana

### COURT NOTICE

(Under Rule 20 CPC) In The Court Of Ms. Neelam Arora Principal Judge Family Court, Ludhiana Nisha Vs. Deepak

CNR NO: PBLD01-07768-2022 Next Date: 29-01-2024 Publication Issued To: Deepak S/o Bangali Ram R/o Kumer Gate, Harijan Basti, Bharatpur, Rajasthan In above titled case, the defendant (s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant (s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 29-01-2024 at 10:00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district\_notice&district=Ludhi ana Principal Judge Family Court Ludhiana

हेलियोस फोटो वोल्टाइक लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ	
प्रार्थनार्थक विवरण	
1. कॉर्पोरेट देनदार का नाम	हेलियोस फोटो वोल्टाइक लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट के विवरण की तिथि	07 दिसम्बर 2025
3. अधिकृत व्यक्ति का तहाना	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4. कॉर्पोरेट पंजीकृत है	
5. कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	(CIN) U04106DL2005PLCT143431
6. कॉर्पोरेट देनदारों के कॉर्पोरेट पहचान संख्या और प्रमाण कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- i) 14, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज 4, नई दिल्ली-110020 ii) 43B, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज 4, नई दिल्ली-110020
7. कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवाल प्रारंभ होने की तिथि	12 जनवरी 2024 (एलसीसीटी आदेश प्राप्ति की तिथि)
8. अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाल पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	09 जुलाई 2024
9. बॉर्ड के सांग पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- रवि, नंबर IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012, अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) ईमेल: ibc24helios@gmail.com
10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- रवि, नंबर IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012, अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) ईमेल: ibc24helios@gmail.com
11. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- रवि, नंबर IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012, अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) ईमेल: ibc24helios@gmail.com
12. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित धारा 21 की उप-धारा (ए) के खंड (B) के तहत लेनदारों के वर्ग, यदि कोई हो	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- रवि, नंबर IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012, अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) ईमेल: ibc24helios@gmail.com
13. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- रवि, नंबर IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012, अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) ईमेल: ibc24helios@gmail.com
14. कॉर्पोरेट देनदारों के संबंध में दिवाल प्रारंभ होने की तिथि	एलएलएलटी के आदेश दिनांक 11.01.2024 के अनुसार- रवि, नंबर IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012, अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) ईमेल: ibc24helios@gmail.com

एलएलएलटी सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल ने 11.01.2024 (आदेश प्राप्ति की तिथि 12 जनवरी 2024) को हेलियोस फोटो वोल्टाइक लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालता समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। हेलियोस फोटो वोल्टाइक लिमिटेड के लेनदारों को सूचित के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए 26.01.2024 को या उससे पहले प्रारंभिक संख्या 10 के सामने उल्लिखित रूप से अंतरिम समाधान पेशेवर को कहा जाता है।

नियत लेनदारों को अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ दावे दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के झूठे या ग्राहक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

इस्ता/एलएलएलटी सूचना दिनांक 13.01.2024 स्थान: नई दिल्ली रवि क्रमांक: IBBI/PE-0060/IPA-1/2022-23/50012 रवि पता: 106, डीबीए एलएलएलटी, होज खार, नई दिल्ली -110016 एलएलएलटी - 04 दिसंबर 2024

हेलियोस फोटो वोल्टाइक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर

अभिलेख हस्तक्षरणाई-आलेख कुमार अवतार (lok@insolvencyservices.in) पत्राचार के लिए (कॉर्पोरेट पता) -सी-100, सेक्टर 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित धनराशि ( रुपये में ) ( G.S.T नीति)	जमानत धनराशि राकम	निविदा मूल्य + 18% G.S.T	कार्य अवधि
1	अयोध्या पर आधारित 15 से 20 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण का कार्य	825000.00	165000.00	17700.00	07 दिवस
महाप्रबन्धक ( जल ) नगर निगम अयोध्या					अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

### कार्यालय : जलकल विभाग, नगर निगम अयोध्या

पत्रांक:-1945/जं०क०वि०न०नि०अयो०/अल्पकालीन निविदा2023-24

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

नगर निगम अयोध्या में नगर आयुक्त महोदय की स्वीकृति के उपरान्त अयोध्या पर आधारित 15 से 20 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण हेतु अल्पकालीन निविदा निविदा बाब्स के माध्यम से आमंत्रित की जाती है,

तत्क्रम में दिनांक 18.01.2024 तक महाप्रबन्धक ( जल ) के कक्ष में रखी सोलबन्द् निविदा पेटिका में निविदायें, तत्क्रम 10.00 बजे से 3.00 बजे अपरान्ह तक आमंत्रित की जायेगी, तथा उसी दिन उपरिष्ठ उद्देकादरों के सम्मक्ष 04.00 बजे खोली जायेगी। रद्दच्युत फर्म/उद्देकादर निविदा प्रपत्र दिनांक 15-01-2024 से 17.01.2024 तक कार्यालय नगर निगम अयोध्या के जलकल विभाग से प्राप्त: 10.30 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। अति अल्पकालीन निविदा के नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में संलग्न है। अति अल्पकालीन निविदा के साथ संलग्न की जाने वाली जमानत धनराशि मुख्य वित्त लेखाधिकारी नगर निगम अयोध्या के नाम एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० के रूप में सम्बन्धित फर्म के खाते से जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं होगा। नगर आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये अति अल्पकालीन निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। कार्य का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित धनराशि ( रुपये में ) ( G.S.T नीति)	जमानत धनराशि राकम	निविदा मूल्य + 18% G.S.T	कार्य अवधि
1	अयोध्या पर आधारित 15 से 20 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण का कार्य	825000.00	165000.00	17700.00	07 दिवस
महाप्रबन्धक ( जल ) नगर निगम अयोध्या					अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या

अपर नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या